भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 4087

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष सहायता

4087. श्री खगेन मुर्मु:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के अंतर्गत इसके आरंभ से सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई कुल धनराशि कितनी है;

(ख) क्या इस योजना में कोई सुधार-संबंधी घटक शामिल है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एसएएससीआई के सुधार-संबंधी घटक के परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा क्या विशिष्ट सुधार किए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पूंजी व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के आरंभ, अर्थात् वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक इसके अंतर्गत सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई कुल धनराशि 3,66,249.45 करोड़ रुपये है।

(ख) से (घ): जी, हां। योजना के कुछ भागों के अंतर्गत राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। सुधार से जुड़े घटकों और उन राज्यों की संख्या, जिन्हें वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक एसएएससीआई के इन घटकों के तहत प्रोत्साहन दिए गए हैं, का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** के रूप में संलग्न हैं।

****

अनुबंध

18 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 4087 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

एसएएससीआई के अंतर्गत सुधार घटकों का वर्षवार विवरण तथा सुधार करने वाले राज्यों की संख्या:

वर्ष		सुधार	सुधार करने वालें और प्रोत्साहन का लाभ उठाने वाले राज्यों की संख्या
2020-21	1	एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन	12*
	2	व्यापार सुगमता में सुधार	
	3	शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता में सुधार	
	4	विद्युत क्षेत्र में सुधार	
2021-22	1	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण/विनिवेश और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण और पुनर्चक्रण	1
2022-23	1	राज्य में प्रधानमंत्री गति शक्ति से संबंधित निवेश	27
	2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पूरक वित्तपोषण	7
	3	नागरिक केंद्रित सेवाओं का डिजिटलीकरण	26
	4	ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) नेटवर्क को बढ़ाना।	24
	5	शहरी सुधार- भवन उपनियमों, नगर नियोजन योजनाओं, पारगमन उन्मुख विकास और स्थानांतरणीय विकास अधिकारों से संबंधित सुधार	12
	6	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण/विनिवेश और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण और पुनर्चक्रण	1
	7	पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग	5
2023-24	1	शहरी नियोजन में सुधार- भवन उपनियमों, नगर नियोजन योजनाओं, पारगमन उन्मुख विकास और स्थानांतरणीय विकास अधिकारों आदि से संबंधित सुधार	21
	2	शहरी स्थानीय निकायों को नगर पालिका बॉन्डों के लिए ऋण योग्य बनाने और बॉन्ड जारी करने के लिए उनमें वित्तीय सुधार करना	15
	3	पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग	17
	4	आरबीआई के ई-कुबेर मॉडल का उपयोग करके विक्रेताओं और लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा सीएसएस निधियों को "जस्ट-इन टाइम" जारी करना और एसएनए को केंद्रीय और राज्य के निधियों का हिस्सा समय पर जारी करना क्रियांवित करना	0
2024-25	1	पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग	16
	2	ओद्योगिक विकास को बढ़ावा देना- औद्योगिक और वाणिज्यिक भवनों के लिए भवन विनियमों में सुधार।	22
	3	ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार	22
	4	शहरी क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार	0
	5	एसएनए स्पर्श पर सीएसएस का पंजीकरण	19
	6	शहरी नियोजन में सुधार- भवन उपनियमों, नगर नियोजन योजनाओं, पारगमन उन्मुख विकास और स्थानांतरणीय विकास अधिकारों आदि से संबंधित सुधार	18

* इन चार सुधारों में से किन्हीं तीन सुधारों को करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (11.08.2025 तक)
		जारी की गई राशि	जारी की गई राशि	जारी की गई राशि	जारी की गई राशि	जारी की गई राशि	जारी की गई राशि
1	आंध्र प्रदेश	688.00	501.79	6105.56	4090.81	7901.56	2009.70
2	अरुणाचल प्रदेश	232.97	371.19	1564.10	2363.42	2470.96	0.00
3	असम	450.00	600.00	4300.14	5804.43	7427.50	2061.16
4	बिहार	843.00	1246.50	8455.85	8814.80	14791.32	3135.97
5	छत्तीसगढ़	286.00	423.00	2941.97	3365.25	6103.57	1399.99
6	गोवा	97.66	111.04	572.75	695.20	1266.54	491.56
7	गुजरात	285.00	432.00	4045.82	4254.32	5958.26	1433.74
8	हरियाणा	91.00	135.00	1267.00	1702.05	1458.56	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	533.00	800.00	650.80	1515.97	2381.37	451.62
10	झारखंड	277.00	246.00	2964.32	4580.61	2718.32	0.00
11	कर्नाटक	305.00	451.50	3399.35	3879.24	5296.12	1556.21
12	केरल	81.50	238.50	1902.74	0.00	2715.67	656.81
13	मध्य प्रदेश	1320.00	1512.36	7360.20	12636.21	12424.92	2618.21
14	महाराष्ट्र	514.00	771.73	6744.16	5376.31	8063.08	2230.41
15	मणिपुर	317.16	212.85	467.22	542.70	1436.82	0.00
16	मेघालय	200.00	281.20	1049.02	1293.06	2369.63	278.52
17	मिजोरम	200.00	299.99	297.50	743.28	1361.09	0.00
18	नागालैंड	200.00	300.00	504.16	973.20	1599.73	0.00
19	उड़ीसा	471.50	517.12	75.00	3532.14	6943.55	1967.46
20	पंजाब	296.50	223.50	798.22	0.00	2269.31	529.13
21	राजस्थान	1002.00	692.41	5595.64	8513.42	9139.21	2668.77
22	सिक्किम	200.00	300.00	551.36	797.85	1742.14	140.58
23	तमिलनाडु	0.00	505.50	4011.27	5326.42	7345.86	1598.83
24	तेलंगाना	358.00	214.14	2500.98	1948.34	2727.24	896.82
25	त्रिपुरा	300.00	118.54	349.79	662.92	1586.68	293.25
26	उत्तर प्रदेश	976.00	1483.00	7940.50	19215.08	17223.82	6065.96
27	उत्तराखंड	675.00	263.92	1124.01	1911.71	2455.84	380.20
28	पश्चिम बंगाल	630.00	933.00	3655.92	5015.58	10305.06	2534.08
कुल		**11830.29**	**14185.78**	**81195.35**	**109554.30**	**149483.73**	**35399.00**
विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश							
दिल्ली							542.03
जम्मू एवं कश्मीर							0.00
पुदुचेरी							85.50
3 केंद्र शासित प्रदेशों का कुल							**627.53**
कुल योग		**11830.29**	**14185.78**	**81195.35**	**109554.30**	**149483.73**	**36026.53**